

प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल द्वारा प्रसारित निर्देश दिनांक 05-02-2025 के अनुक्रम में जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों/ संचालकों को सूचित किया जाता है, MP TAAS पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने से छूटे हुये विद्यार्थियों के लिये, आवेदन किये जाने हेतु वर्ष 2021-22 से पोर्टल ओपन किया जा चुका है। दिनांक 15-02-2025 तक आवेदन से वंचित विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। सभी संस्थायें विद्यार्थियों को अवगत कराये एवं समय सीमा में आवेदन कराये।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सागर

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) सागर (म0प्र0)
क0 /पीएमएस/आ0वि0 /2024-25 /1675 सागर दिनांक 05/02/2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

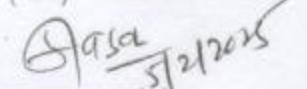
कमाक/एस.सी.एस.टी.सेल/2024-25/262

दिनांक 05.02.2025

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, (कार्यालय कलेक्टर) जिला-सागर की प्रेस विज्ञप्ति क/पीएमएस/आ.वि/2024-25/1675 दिनांक 05.02.2025 अनुसार MPTAAS पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत आवेदन करने से छूटे हुये विद्यार्थियों के लिये, आवेदन किये जाने हेतु वर्ष 2021-22 से पोर्टल ओपन किया जा चुका है। आवेदन से वंचित संबंधित वर्ग के विद्यार्थी दिनांक 15.02.2025 तक पोर्टल पर आवेदन करें, एवं आवेदन की हार्डकापी अपने से संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय में शीघ्र जमा करें।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)- कृपया उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति अनुसार संबंधित वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि के पूर्व छात्रवृत्ति आवेदन भरने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट सेल, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)-आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डॉ0 उत्तम आनंद)
सहायक आयुक्त